उत्तर प्रदेश शासन
ग्राम्य विकास अनुभाग-1
संख्या-299/2015/1843/38-1-2015-11 टी0आर0/2015
लखनऊ: दिनांक: 07 अगस्त, 2015

कार्यालय-ज्ञाप

आयुक्त, ग्राम्य विकास के कार्यालय- आदेश संख्या-593-बी/स्था0प्र0/2015, दिनांक 24.06.2015 द्वारा श्री विजय कुमार सोनी, खण्ड विकास अधिकारी, गोरखपुर का खण्ड विकास अधिकारी, बस्ती के पद पर किया गया स्थानान्तरण सम्यक विचारोपरान्त 01 वर्ष के लिए एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है । उक्त कार्यालय- आदेश इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

उमा कान्त मिश्र
उप सचिव

संख्या-299/2015/1843(1)/38-1-2015 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(2) आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(3) मण्डलायुक्त/संयुक्त विकास आयुक्त, गोरखपुर/बस्ती ।
(4) जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी/जिला विकास अधिकारी, गोरखपुर/बस्ती ।
(5) वरिष्ठ कोषाधिकारी, गोरखपुर/बस्ती ।
(6) सम्बन्धित अधिकारी द्वारा- मुख्य विकास अधिकारी, गोरखपुर।
(7) गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(उमा कान्त मिश्र)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।